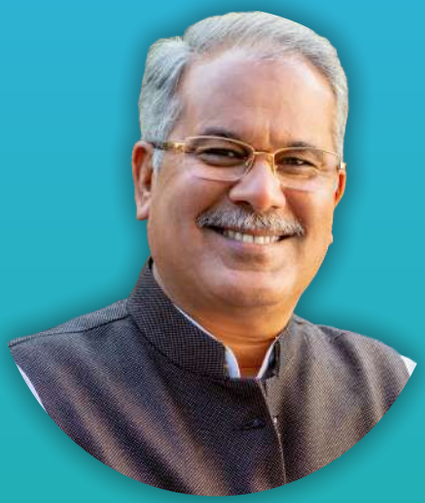


छत्तीसगढ़ शासन



लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग



वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019-2020







माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छ.ग. शासन,
द्वारा कोसारटेडा आवर्धन जलप्रदाय योजना का निरीक्षण दिनांक 7 जुलाई, 2019

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वर्ष 2019-2020

मंत्री - माननीय श्री गुरू रूद्र कुमार

मंत्रालय

सचिव - श्री अविनाश चम्पावत

उप सचिव - श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा

विषेश कर्तव्यस्थ अधिकारी - श्री के.के. मरकाम

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियंता - श्री टी. जी. कोसरिया



ग्राम – बुढ़ार, पारा– बरतरिहा पारा विकासखण्ड– बैकुण्ठपुर, जिला– कोरिया



ग्राम बेलरभाटापारा, विकासखण्ड अभनपुर, जिला रायपुर नलकूप खनन कार्य

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	भाग–1 विभागीय संरचना	1–10
2.	भाग–2 बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	11
3.	भाग–3 राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	12–33
4.	भाग–4 सामान्य प्रशासनिक विषय	34–36
5.	भाग–5 विभागीय प्रकाशन	37
5.	भाग–6 अभिनव योजना	38
5.	भाग–7 सारांश	39–44



मगरलोड आवर्धन जल प्रदाय योजना

भाग - एक

विभागीय संरचना

1.1 सामान्यः

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं को तैयार कर क्रियान्वयन तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों की आवश्यकता के अनुरूप जलप्रदाय योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है।

1.2 विभागीय संरचनाः

मंत्रालय के अधीनस्थ विभागीय संरचना में प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष है। कार्यालय प्रमुख अभियंता, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में स्थित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। प्रदेश में परिक्षेत्रवार तीन मुख्य अभियंता कार्यालय निम्नानुसार कार्यरत् हैंः–

(अ) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय रायपुरः

कार्यक्षेत्र - रायपुर एवं दुर्ग राजस्व संभाग अंतर्गत 10 जिलें क्रमशः रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम।

(ब) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिलासपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय बिलासपुरः

कार्यक्षेत्र - बिलासपुर एवं सरगुजा राजस्व संभाग के अंतर्गत 10 जिलें क्रमशः बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर एवं कोरिया।

(स) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जगदलपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय जगदलपुर

कार्यक्षेत्र - बस्तर राजस्व संभाग के अंतर्गत 7 जिलें क्रमशः बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोण्डागांव, कांकेर एवं नारायणपुर।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख अभियंता कार्यालय में मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद तथा मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का एक पद सृजित है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता (सिविल), राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का प्रभारी है, जिनके द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय में विभागीय कार्यक्रमों के अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रदेश के विद्युत एवं यांत्रिकी संकाय के कार्यों का अनुश्रवण एवं समन्वय करने का है।

1.3 मैदानी स्तर पर विभागीय संरचनाः

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सिविल संकाय के राजस्व संभाग स्तर पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर एवं कोण्डागांव में मण्डल कार्यालय कार्यरत् हैं। इस प्रकार राज्य में कुल छः मंडल कार्यालय है। इन कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख, अधीक्षण अभियंता हैं।

प्रदेश के प्रत्येक जिला स्तर पर एक सिविल खण्ड कार्यालय, कार्यरत् हैं इसके अतिरिक्त रायपुर, बेमेतरा, जगदलपुर और कोरबा में एक–एक परियोजना खण्ड कार्यालय, कार्यरत् हैं। इस प्रकार (सिविल) के कुल 31 खंड कार्यालय, कार्यरत् हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन कुल 89 उपखण्ड कार्यालय, कार्यरत् हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता सिविल, पदस्थ होते है।

विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संकाय हेतु राज्य में एक मण्डल कार्यालय रायपुर स्थापित है। जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर में विद्युत/यांत्रिकी संकाय के खण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन जिला मुख्यालयों पर 27 विद्युत/यांत्रिकी उपखण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं।

विभागीय संरचना

माननीय मंत्रीजी

↓

सचिव

↓

प्रमुख अभियंता

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र रायपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल रायपुर

(1) खण्ड रायपुर
उपखंड रायपुर
भूजल संवर्धन उपखंड रायपुर
(2) खण्ड धमतरी
उपखंड धमतरी
उपखंड कुरूद
उपखंड नगरी
(3) खण्ड महासमुंद
उपखंड महासमुंद
उपखंड सरायपाली
(4) खण्ड बलौदाबाजार
उपखंड भाटापारा
उपखंड बलौदाबाजार
उपखंड कसडोल
(5) खण्ड गरियाबंद
उपखंड गरियाबंद
उपखंड राजिम
उपखंड देवभोग
(6) परि. खण्ड रायपुर
परि. उपखंड क्र. 1 रायपुर.
परि. उपखंड क्र. 2 रायपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल दुर्ग

(1) खण्ड दुर्ग
उपखंड दुर्ग
उपखंड पाटन
(2) खण्ड बालोद
उपखंड बालोद
उपखंड गुंडरदेही
उपखंड डौंडी
(3) खण्ड बेमेतरा
उपखंड बेमेतरा
उपखंड साजा
(4) खण्ड राजनांदगांव
उपखंड राजनांदगांव
उपखंड चौकी
उपखंड डोंगरगढ़
उपखंड खैरागढ़
उपखंड छुईखदान
उपखंड मोहला
वि. संधा. उपखण्ड, राजनांदगांव
(5) खण्ड कबीरधाम
उपखंड कवर्धा
उपखंड पंडरिया
उपखंड बोडला
(6) परि. खण्ड बेमेतरा
परि. उपखंड क्र.1 बेमेतरा
परि. उपखंड क्र.2 बेमेतरा
परि. उपखंड क्र.3 बेमेतरा

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र बिलासपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल बिलासपुर

(1) खण्ड बिलासपुर
उपखंड बिलासपुर
उपखंड गौरेला
उपखंड तखतपुर
(2) खण्ड मुंगेली
उपखंड मुंगेली
उपखंड पथरिया
(3) खण्ड कोरबा
उपखंड कोरबा
उपखंड कटघोरा
(4) खण्ड जांजगीर - चांपा
उपखंड चांपा
उपखंड सक्ती
उपखंड डभरा
उपखंड अकलतरा
(5) खण्ड रायगढ़
उपखंड रायगढ़
उपखंड खरसिया
उपखंड सारंगढ़
उपखंड घरघोड़ा
उपखंड धरमजयगढ़
(6) परि.खण्ड
कोरबा
उपखंड क्र. 1 कोरबा
उपखंड क्र. 2 कोरबा

अधीक्षण अभियंता, मंडल अंबिकापुर

(1) खण्ड
अंबिकापुर
उपखंड अम्बिकापुर
उपखंड सीतापुर
(2) खण्ड
बलरामपुर
उपखंड बलरामपुर
उपखंड कुसमी
उपखंड रामानुजगंज
उपखंड वाड्रफनगर
(3) खण्ड सूरजपुर
उपखंड सूरजपुर
उपखंड प्रतापपुर
उपखंड ओड़गी
(4) खण्ड जशपुर
उपखंड जशपुर
उपखंड कुनकुरी
उपखंड पत्थलगांव
उपखंड कांसाबेल
(5) खण्ड कोरिया
उपखंड बैकुंठपुर
उपखंड मनेन्द्रगढ़
उपखंड चिरमिरी
उपखंड जनकपुर

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र जगदलपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल जगदलपुर

(1) खण्ड जगदलपुर
उपखंड क्र.1 जगदलपुर (मुख्यलय बस्तर)
उपखंड क्र.2 जगदलपुर
उपखंड तोकापाल
भू.सं.उपखंड जगदलपुर
संधा.उपखंड जगदलपुर
(2) खण्ड दंतेवाडा
उपखंड दंतेवाड़ा
उपखंड क्र.2 दंतेवाड़ा
(3) खण्ड सुकमा
उपखंड सुकमा
उपखंड कोंटा
(4) खण्ड बीजापुर
उपखंड बीजापुर
उपखंड भोपालपटनम
(5) परि. खण्ड
जगदलपुर
परि.उपखण्ड क्र 3 जगदलपुर
परि.उपखण्ड क्र 4 जगदलपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल कोण्डागांव

(1) खण्ड कोण्डागांव
उपखंड कोंडागांव
उपखंड केशकाल
(2) खण्ड कांकेर
उपखंड कांकेर
उपखंड भानुप्रतापपुर
उपखंड अंतागढ़
(3) खण्ड नारायणपुर
उपखण्ड नारायणपुर

अधीक्षण अभियंता, वि./यां.मंडल,रायपुरं

(1) वि/यां खण्ड रायपुर
वि/यां उपखंड रायपुर
वि/यां उपखंड गरियाबंद
वि/यां उपखंड बलौदाबाजार
वि/यां उपखंड धमतरी
वि/यां उपखंड महासमुंद
(2) वि/यां खण्ड
राजनांदगांव
वि/यां उपखंड दुर्ग
वि/यां उपखंड बालोद
वि/यां उपखंड बेमेतरा
वि/यां उपखंड राजनांदगांव
वि/यां उपखंड कवर्धा
(3) वि/यां खण्ड बिलासपुर
वि/यां उपखण्ड बिलासपुर
वि/यां उपखण्ड मुंगेली
वि/यां उपखंड चांपा
वि/यां उपखंड कोरबा
वि/यां उपखंड रायगढ़
(4) वि/यां खण्ड अम्बिकापुर
वि/यां उपखंड अम्बिकापुर
वि/यां उपखंड सूरजपुर
वि/यां उपखंड बलरामपुर
वि/यां उपखंड कोरिया
वि/यां उपखंड जशपुर
(5) वि/यां खण्ड जगदलपुर
वि/यां खण्ड जगदलपुर
वि/यां खण्ड कोण्डागांव
वि/यां उपखंड दंतेवाडा
वि/यां उपखंड सुकमा
वि/यां उपखंड कांकेर
वि/यां उपखंड बीजापुर
वि/यां उपखंड नारायणपुर

विभागीय संरचना में स्वीकृत पदों का विवरण

राजपत्रित प्रथम श्रेणी संवर्ग:

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	प्रमुख अभियंता	01
2.	मुख्य अभियंता (वि/यां)	01
3.	मुख्य अभियंता (सिविल)	04
4.	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	12
5.	अधीक्षण अभियंता (वि/यां)	01
6.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	36
7.	कार्यपालन अभियंता (वि/यां)	06
8.	कार्यपालन अभियंता (एम.आई.एस.)	01
9.	संयुक्त संचालक (वित्त) प्रतिनियुक्ति से	01

राजपत्रित द्वितीय श्रेणी संवर्ग:

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	जल वैज्ञानिक (हाइड्रोजियोलाजिस्ट) (प्रतिनियुक्ति)	03
2.	हाइड्रोजियोलाजिस्ट	01
3.	सहायक भू–जलविद्	01
4.	सहायक अभियंता (सिविल)	130
5.	सहायक अभियंता (वि/यां)	33
6.	सहायक अभियंता (एम.आई.एस.)	01
7.	लेखाधिकारी (वित्त) प्रतिनियुक्ति से	04
8.	मुख्य रसायनज्ञ	01
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	उप–अभियंता (सिविल)	406
2	उप–अभियंता (वि./यां.)	130
3	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जियोलाजिस्ट)	02
4	फोरमेन	01
5	रिग ऑपरेटर	05
6	सहायक रिग ऑपरेटर	05
7	ड्रिलर	10
8	मुख्य मानचित्रकार	01
9	मानचित्रकार	48
10	सहायक मानचित्रकार	47
11	अनुरेखक	102

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (लिपिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
12	मुख्यालय अधीक्षक	01
13	अधीक्षक (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	10
14	कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	01
15	सहायक ग्रेड–1 (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	10
16	सहायक ग्रेड–एक (अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	07
17	वरिष्ठ निज सहायक	01
18	निज सहायक	04
19	शीघ्रलेखक	13
20	लेखापाल	04
21	सहायक ग्रेड–2	15
22	सहायक ग्रेड–3	30
23	स्टेनोटायपिस्ट	42

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
24	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	03
25	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	47
26	केमिस्ट	28
27	सहायक केमिस्ट	01
28	वाहन चालक	13

अराजपत्रित राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
29	सुपरवाईजर	01
30	दफ्तरी	04
31	भृत्य	28
32	चौकीदार	01

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (लिपिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	सहायक ग्रेड–2	201
2	सहायक ग्रेड–3	274
3	संभागीय लेखापाल (प्रतिनियुक्ति से)	36

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
4	प्रयोगशाला सहायक	29
5	हैण्डपंप तकनीशियन	876
6	इलेक्ट्रिशियन	01
7	फिटर	02
8	शिफ्ट ड्राईवर	01
9	टर्नर	02
10	वेल्डर	01
11	ट्रक चालक	28
12	वाहन चालक	94
13	चालक सह सहायक	18
14	एयर कम्प्रेशर चालक	03
15	मैकेनिक (वि./यां.)	13

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय चतुर्थ (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
16	दफ्तरी	29
17	भृत्य	263
18	हेल्पर	16
19	लाईनमेन	02
20	क्लीनर	13
21	चौकीदार (नियमित)	102

1.4 विभाग का दायित्व :

प्रदेश के ग्रामीण जनसंख्या को समुचित शुद्ध पेयजल निरंतर उपलब्ध कराना विभाग का मुख्य दायित्व है। विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय टंकी आधारित नल जल योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ग्रामों/बसाहटों जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा भू–जल की गुणवत्ता प्रभावित है, वहां सतही स्रोत पर आधारित बहुल ग्राम नलजल प्रदाय योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल प्रदाय हेतु स्थापित विभागीय हैण्डपम्पों का संचालन एवं संधारण ।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जाँच एवं उसकी सतत् निगरानी तथा ग्राम पंचायतों के साथ–साथ स्थानीय लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्रोतों एवं संचालित योजनाओं की निरंतरता हेतु जल संरक्षण, भूजल संवर्धन आदि कार्यों का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय शालाओं, एवं शासकीय भवनों में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था।
- मेले में पेयजल एवं अस्थाई शौचालय व्यवस्था।
- नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की मांग अनुसार पेयजल एवं जलमल निकास योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य।

1.5 सामान्य जानकारी

प्रदेश में वर्तमान में कुल आबाद ग्राम 20,078 हैं, इनमें कुल 74,753 बसाहटें चिन्हित की गई हैं। इन सभी बसाहटों में कम से कम एक पेयजल स्रोत निर्मित किया जा चुका है। पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के कुल 165 नगरीय निकायों में से 111 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन कर शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में 54 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

1.6 प्रमुख विशेषताएं

राज्य में जलप्रदाय स्रोतों के विकास की प्रमुख जिम्मेदारी भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची अनुसार राज्य सरकारों की है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु समय–समय पर नीति निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल व्यवस्था राज्य शासन अपने संसाधनों से भी उपलब्ध कराती है। नगरीय क्षेत्रों के पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना की लागत का राज्य शासन द्वारा 70 प्रतिशत अनुदान एवं 30 प्रतिशत शासकीय ऋण नगरीय निकायों के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

1.7 लक्ष्य :–

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करना।
- पेयजल हेतु हैण्डपंप पर निर्भरता 10 प्रतिशत से कम ।
- समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शत–प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोतों एवं योजनाओं का संधारण।

1.8 महत्वपूर्ण सांख्यिकी (माह दिसंबर, 2019 की स्थिति में) :

(1)	ग्रामों की संख्या	:	20,078
(2)	बसाहटें	:	74,753
(3)	स्थापित हैंडपंप	:	2,77,970
(4)	सोलर पंप	:	7277

	(4.1) ड्यूअल आपरेटेड पंप	:	5261
	(4.2) मिनी नलजल योजना	:	2016
(5)	शालाओं में पेयजल व्यवस्था :–		
	पेयजल व्यवस्था पूर्ण शालाओं की संख्या	:	50,622
(6)	आँगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था :–		
	पेयजल व्यवस्था पूर्ण आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्याः		30,201
(7)	ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं :–		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	4,337
	पूर्ण योजनाएं	:	3,638
	प्रगतिरत् योजनाएं	:	699
(8)	स्थल जल प्रदाय योजनाएंः–		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	2,610
	पूर्ण योजनाएं	:	2,608
	प्रगतिरत् योजनाएं	:	02
9)	सोलर आधारित मिनी नलजल प्रदाय योजनाएं :–		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	2185
	पूर्ण योजनाएं	:	2016
	प्रगतिरत् योजनाएं	:	169
(10)	सोलर आधारित 600 वॉट ड्यूअल ऑपरेटेड पंप स्थापना कार्य :		
	1. कुल स्वीकृत कार्य	:	5,402
	2. पूर्ण कार्य	:	5,261
(11)	पेयजल गुणवत्ता :–		
	अद्यतन में गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित निवारण संयंत्रों की स्थिति :–		
	1. आयरन निवारण संयंत्र	:	3638
	2. फ्लोराइड निवारण संयंत्र	:	537
	3. आर्सेनिक निवारण संयंत्र	:	04
	4. टी.डी.एस.(खारा पानी) निवारण संयंत्र	:	179

	01.04.2019 की स्थिति में गुणवत्ता प्रभावित शेष बसाहटों की संख्या –	:	499
	1. आयरन प्रभावित बसाहटें	:	227
	2. फ्लोराइड प्रभावित बसाहटें	:	268
	3. नाईट्रेट प्रभावित बसाहटें	:	04
(12)	नगरीय निकायों में जलप्रदाय व्यवस्था :–		
	नगरीय निकायों की संख्या	:	165
	नगर पालिक निगम	:	13
	नगर पालिका परिषद्	:	43
	नगर पंचायत	:	109
	क्रियान्वित योजनाएं	:	111
	प्रगतिरत योजनाएं	:	54



सिमगा जलप्रदाय योजना – कैसकेड एरियेटर

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

(राशि लाख रू. में)

क्र.	कार्य का विवरण	वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20 (माह दिसम्बर 2019 तक)	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	नलकूप खनन कार्य (राज्य मद)	4472.60	4469.85	6219.80	6196.10	6450.00	3237.56
2	शालाओं में पेयजल व्यवस्था	1000.00	997.34	1088.00	1047.39	1200.00	492.41
3	भू–जल संवर्धन कार्य	124.00	122.55	136.40	0.00	77.00	0.00
4	पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय (राज्य मद)	3753.24	3461.04	6610.76	3537.47	6190.00	1689.74
	नाबार्ड पोषित पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय	8500.00	6672.30	11400.00	5776.31	11537.00	3185.08
	सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना	7000.00	5189.40	2100.00	1413.23	1550.00	94.14
5	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राज्यांश)	8500.00	6337.01	9200.00	3721.37	10080.00	1715.46
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रांश)						
	1. कार्यक्रम मद	7092.59	4499.19	8727.12	2059.71	9609.26	1621.06
	2. सपोर्ट मद	385.15	310.82	236.44	135.36	329.10	105.47
	3. जल गुणवत्ता मद (WQM&S)	216.36	167.90	236.44	182.34	131.64	36.14
7	मिनीमाता अमृत– धारा नल योजना	-	-	-	-	1000.00	426.92
8	आंगनबाड़ी एवं अस्पताल में नलकूप खनन कार्य	-	-	-	-	1000.00	32.05
9	मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना	-	-	-	-	500.00	0.00
10	गिरौदपुरी समूह जल प्रदाय योजना	-	-	-	-	500.00	0.00
11	राजीव गांधी सर्व जल योजना	-	-	-	-	200.00	0.00
12	अन्य केन्द्रीय मद (M & I Cell का गठन)	42.00	16.54	42.72	15.10	33.38	31.19
13	संचालन एवं संधारण (आयोजना)	7439.30	5615.15	7835.78	5346.17	7523.95	4098.54
14	मशीनरी एवं उपकरण	345.00	113.12	379.50	82.44	371.00	58.29
15	शहरीय/नगरीय जल प्रदाय योजना (राज्यमद)	12500.00	10620.15	12016.27	8581.80	8016.21	6364.54
16	अन्य (राज्य मद)	33349.50	26266.26	35050.41	21509.82	35908.98	13866.87

भाग - तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं :–

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण पेयजल प्रदाय के वे कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते हैं, का क्रियान्वयन राज्य योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है ।

राज्य के नगरीय निकायों में पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य मद से अनुदान की राशि प्रदान की जाती है।

3.1.1 ग्रामीण पेयजल प्रदाय :–

(अ) हैण्डपम्प योजनाएं : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बसाहटों एवं शासकीय शालाओं में नलकूप खनन उपरांत हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जाता है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निर्धारित लक्ष्य एवं माह दिसम्बर, 2019 तक की स्थिति में प्राप्त भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	कुल लक्ष्य	खनित नलकूप	सफल	असफल
1.	बसाहटों में नलकूप खनन	7,150	3,716	3,160	556
2.	शालाओं में नलकूप खनन	555	429	360	69
3.	नगरीय निकायों में नलकूप खनन	202	102	82	20
4.	आंगनबाड़ी केन्द्रों में नलकूप खनन	816	331	295	36

भौगोलिक परिवेश एवं स्ट्रेटा को देखते हुये जिलेवार रिग मशीनों का आबंटन

राज्य में कुल 45 रिग मशीनें हैं जो आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिलों में कार्यरत् हैं।

(अ) पहुॅच की दृष्टि से प्रदेश में तीन तरह की रिग मशीनें उपलब्ध हैं :–

- काउलर माउन्टेड रिग मशीन – 2 नग
- ट्रेक्टर माउन्टेड रिग मशीन – 10 नग
- ट्रक माउन्टेड रिग मशीन – 33 नग

(ब) स्ट्रेटा के दृष्टि से रिग मशीनों की उपलब्धता :–

- डी.टी.एच. रिग मशीन – 40 नग

 ऐसी सतह जहॉ 30–40 फिट तक मिट्टी पत्थर तथा बाद में कड़ा पत्थर मिलता हो, ऐसी जगह इन मशीनों की सहायता से अधिक गहराई के नलकूपों का खनन किया जाता है।

- कॉम्बीनेशन रिग मशीन – 05 नग

 ऐसी सतह जहॉ लगभग 100 से 150 फिट तक बोल्डर, रेत व भसकने वाला स्ट्रेटा होता है एव इस स्ट्रेटा में पानी नहीं मिलने पर बाद में कड़ा पत्थर प्राप्त होता है ऐसी जगह पर इन मशीनों की सहायता से नलकूप का खनन किया जाता है।

(स) हाइड्रोफ्रेक्चरिंग यूनिट :–

- असफल नलकूपों को हाइड्रोफ्रेक्चरिंग कर सफल बनाने के लिए – 04 नग।

(द) यील्ड टेस्ट यूनिटः–

- नलकूपों की जल क्षमता का आँकलन करने के लिए 03 यील्ड टेस्ट यूनिट कार्यरत हैं।

जिलेवार कार्यरत रिग मशीन एवं हाइड्रोफ्रैक्चर यूनिट :–

क्रमांक	जिला	रिग मशीन की खनन क्षमता (मीटर में)				हाइड्रोफैक्चर यूनिट
		90 मीटर	120 मीटर	150 मीटर	185 मीटर	
1	रायपुर	–	–	–	1	–
2	बलौदाबाजार	1	–	1	–	
3	धमतरी	–	1	1	–	
4	गरियाबंद	2	–	–	–	
5	महासमुंद	1	1	–	–	
6	दुर्ग	–	1	–	1	1
7	बालोद	1	–	–	–	
8	बेमेतरा	1	1	–	–	
9	राजनांदगांव	1	–	1		
10	कबीरधाम	1	1	–	–	
11	बिलासपुर	–	1	1	–	1
12	मुंगेली	1	–	–	–	
13	रायगढ़	–	1	1	–	
14	जांजगीर चांपा	1	–	–	1	
15	कोरबा	1	1	–	–	

क्रमांक	जिला	रिग मशीन की खनन क्षमता (मीटर में)				
		90 मीटर	120 मीटर	150 मीटर	185 मीटर	
16	अंबिकापुर	—	—	1	—	1
17	कोरिया	—	1	1	—	
18	बलरामपुर	1	1	—	—	
19	सूरजपुर	—	1	—	1	
20	जशपुर	1	1	—	—	
21	बस्तर	—	2	—	—	1
22	दंतेवाड़ा	—	—	1	—	
23	बीजापुर	1	—	—	—	
24	सुकमा	1	—	—	—	
25	कोंडागांव	—	—	1	—	
26	कांकेर	1	1	—	—	
27	नारायणपुर	1	—	—	—	
	योग—	17	15	9	4	4

(ब) ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य मद से भी किया जाता है। नलजल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत पाईप लाईन एवं उच्च स्तरीय टंकी के माध्यम से घरेलू कनेक्शन द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

नलजल प्रदाय योजनाओं के अतिरिक्त मझौले ग्राम अथवा ऐसे ग्राम जहाँ पेयजल स्रोत का जलस्तर नीचे हो अथवा निर्मित जल स्रोत पीने योग्य न हो, वहाँ दूर स्थित स्रोत से पाईप लाईन द्वारा ग्राम/बसाहट में निवासरत् जनसमुदाय/परिवार/व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है ।

वर्ष 2013–14 से राज्य में स्थलजल प्रदाय योजना का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा लिये निर्णय अनुसार पूर्व से क्रियान्वित समस्त स्थल जल प्रदाय योजनाओं को टंकी युक्त नलजल योजना में परिवर्तित किया जा रहा है।

(स) बहुल ग्राम जल प्रदाय योजनाः

विगत कुछ समय से भू–गर्भीय जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन से भू–गर्भीय जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है, वहीं पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। परिणामतः भूगर्भीय जल स्रोतों की निरंतरता बनाए रखने एवं पेयजल व्यवस्था के लिए भू–गर्भीय जल पर निर्भरता को कम करते हुए सतही स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग आज की महती आवश्यकता हो गई है। प्रदेश में ऐसी बसाहटें जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा प्राप्त भूजल की गुणवत्ता प्रभावित है, उन ग्रामों के समूहों के लिए सतही स्रोतों पर आधारित बहुल ग्राम जल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

1. विभागीय बजट से क्रियान्वित बहुल ग्राम जल प्रदाय योजनाएं

1.1 बहुल ग्रामों की पूर्ण जल प्रदाय योजनाएंः–

क्र.	जिला	विकास खंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाख में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति	घरेलू नल कनेक्शन की संख्या
1.	बेमेतरा	नवागढ़	विकासखंड नवागढ़ के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	54	6297.30 7885.06 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 05.10.2018	जलप्रदाय चालू	3811
2.	बेमेतरा	बेमेतरा	विकासखंड बेमेतरा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	57	6322.03 7816.24 (पुनरीक्षित)	18.02.2013 14.10.2019	जलप्रदाय चालू	4727
3.	बेमेतरा	साजा	विकासखंड साजा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	41	3825.00 4495.80 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 27.05.2019	जलप्रदाय चालू	3248
4.	राजनांद गांव	चौकी	विकासखंड चौकी के आर्सेनिक से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Arsenic Affected)	20	2041.63 2922.98 (प्रथम पुनरीक्षित) 3384.96 (द्वितीय पुनरीक्षित)	07.02.2015 16.03.2016 04.05.2017	जलप्रदाय चालू	4020
5.	बस्तर (जगदल पुर)	बस्तर	कोसारटेडा बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (फ्लोराईड प्रभावित)	33	4976.00 4968.00 (पुनरीक्षित)	18.02.2013 10.09.2018	जलप्रदाय प्रारंभ	4400

क्र.	जिला	विकास खंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाख में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति	घरेलू नल कनेक्शन की संख्या
6.	राजनांद गांव	राजनांदगांव	धीरी एनीकट पर 24 ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	24	2877.44	18.02.2016	आंशिक रूप से जल प्रदाय प्रारंभ	
7.	राजनांद गांव	राजनांदगांव	मोहारा एनीकट पर आधारित 23 ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	23	2334.60	18.02.2016	आंशिक रूप से जल प्रदाय प्रारंभ	
8.	दंतेवाड़ा	गीदम	ग्राम छिंदनार बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	9	1835.36 2494.14 (पुनरीक्षित)	18.03.2016 18.06.2018	टेस्टिंग कार्य प्रगति पर	

1.2 बहुल ग्रामों की प्रगतिरत् जल प्रदाय योजनाएं:–

क्र.	जिला	विकास खंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाख में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति
9.	बालोद	गुंडरदेही	ग्राम देवरी (द) बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	7	1095.68 1356.30 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 26.06.2018	85 प्रतिशत पूर्ण
10.	कबीरधाम	बोड़ला	पोड़ी बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	11	1417.06 1618.99 (पुनरीक्षित)	09.02.2016 09.02.2016	95 प्रतिशत पूर्ण
11.	सूरजपुर	सूरजपुर	हर्राटिकरा बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	18	3026.43	17.02.2016	80 प्रतिशत पूर्ण
12.	बीजापुर	भोपालपटनम	भोपालपट्नम रालापल्ली की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	19	1553.81	16.11.2016	30 प्रतिशत पूर्ण
			कुल	**316**	43811.77		

2. निक्षेप मद के अंतर्गत स्वीकृत बहुल ग्रामों की प्रगतिरत् जलप्रदाय योजनाः–

(दिसंबर 2019 की स्थिति में)

क्र.	जिला	योजना का नाम	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	स्वीकृत दिनांक	कुल स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	मद	भौतिक प्रगति अद्यतन
1	दन्तेवाड़ा	नेरली समूह जल प्रदाय योजना	8	11/01/2018	1482.55	एन.एम.डी.सी.	3 ग्रामों में जलप्रदाय एक वर्ष से प्रारंभ शेष 5 ग्रामों में कार्य प्रगति पर
2	दन्तेवाड़ा	धुरली समूह जल प्रदाय योजना	17	11/01/2018	3866.00	एन.एम.डी.सी.	टेस्टिंग कार्य प्रगति पर
3	कोरबा	चोटिया समूह जल प्रदाय योजना (कुल 17 ग्राम)	17	05.05.2017	3218.90	डी.एम.एफ.	20 प्रतिशत
4	कोरबा	धनरास, छुरीखुर्द एवं आई.टी.आई. चोरभट्ठी समूह जल प्रदाय योजना (कुल 08 ग्राम)	8	10.04.2014	मूल 437.37 पुनरीक्षित 1008.40	एन.टी.पी.सी.	25 प्रतिशत
5	कोरबा	मॉ मड़वारानी समूह जल प्रदाय योजना (कुल 19 ग्राम)	19	31.03.2018	3136.85	डी.एम.एफ.	
6	कोरिया जिले के ग्राम कटगोडी समूह जलप्रदाय योजना की स्वीकृति डी.एम.एफ. के अंतर्गत राशि रू. 1463.19 दिनांक 9.05.2018 को हुई थी जिसे कलेक्टर कोरिया के आदेश क्रमांक 389 दिनांक 31.05.2019 के द्वारा निरस्त किया गया है।						

(द) संचालन एवं संधारण : राज्य बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप योजना, गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित आयरन रिमूव्हल प्लांट, फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट एवं आर.ओ. (रिवर्स ओस्मोसिस) के संधारण कार्य किये जाते है। इसी क्रम में हैण्डपंपों के नियमित संधारण कार्यों के साथ–साथ स्थापित हैण्डपंपों के विशेष संधारण कार्य, राईज़र पाईप बदलने/बढ़ाने के कार्यों के अतिरिक्त 15 वर्षों से अधिक पुराने हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य भी प्रावधानित है। हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य में आवश्यकतानुसार नये हैण्डपंप सेट (राईज़र पाईप सहित) की स्थापना एवं प्लेटफार्म का पुर्ननिर्माण कार्य सम्मिलित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित नलजल प्रदाय योजना एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए स्वीकृत मापदण्ड अनुसार क्रमशः रू. 15,000.00 एवं रू. 5,000.00 के वार्षिक अनुदान ग्राम पंचायतों को प्रदान करने का प्रावधान है।

3.1.2 राजीव गॉधी सर्वजल योजना–

राजीव गांधी सर्वजल योजना, दुर्ग संभाग के साजा समूह जल प्रदाय योजना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वॉटर फिल्टर प्लांट स्थापित कर पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना बनाई गई है, जिसकी अनुमानित लागत रूपये 3.00 करोड़ है।

3.1.3 मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना–

प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अल्प वर्षा/अवर्षा की स्थिति में पेयजल संकट उत्पन्न होने पर शुद्ध पेयजल प्रदाय करने हेतु मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर परिक्षेत्र में मोबाईल वॉटर प्यूरीफायर संयंत्र के लिए रूपये 5 करोड़ का बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2019–20 में है।

3.1.4 नगरीय जल प्रदाय योजनाएं :

नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य स्थानीय निकायों की माँग एवं सहमति पर विभाग द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं का वित्तीय ढांचा 70 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं 30 प्रतिशत नगरीय निकायों को ऋण के रूप में क्रियान्वित की जाती है। संचालन एवं संधारण का कार्य संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

अ. प्रगतिरत् योजनाएं:–

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	रिमार्क
1.	बेमेतरा	बेमेतरा	बेमेतरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1655.00/ पुनरीक्षित 2126.44	08.03.2019 08.03.2019	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
2.	बेमेतरा	नवागढ़	नवागढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	594.54/ पुनरीक्षित 639.95	11.03.2015 05.12.2017	जलप्रदाय प्रारंभ
3.	बेमेतरा	साजा	थानखम्हरिया आवर्धन जलप्रदाय योजना	336.88	14.02.2013	जलप्रदाय प्रारंभ
4.	कबीरधाम	पंडरिया	पांडातराई नगर की जलप्रदाय योजना	294.13	31.03.2015	जलप्रदाय प्रारंभ
5.	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	656.48	08.01.2015	जलप्रदाय प्रारंभ
6.	मुंगेली	बिल्हा	पथरिया आवर्धन जलप्रदाय योजना	187.00	28.10.2017	जलप्रदाय प्रारंभ
7.	बलौदाबा जार–भाटापारा	भाटापारा	सिमगा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1561.74	10.03.2015	जलप्रदाय प्रारंभ

8.	कांकेर	अंतागढ़	अंतागढ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	431.56	10.03.2015	जलप्रदाय प्रारंभ
9.	जांजगीर–चांपा	सक्ती	नया बाराद्वार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	321.96	10.03.2015	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
10.	कोरबा	कटघोरा	कटघोरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1073.28	14.02.2013	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
11.	बस्तर	बस्तर	बस्तर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	949.49/ पुनरीक्षित 1270.33	14.02.2013 09.03.2018	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
12.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	चिरमिरी नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3448.75	29.04.2013	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
13.	रायपुर	अभनपुर	अभनपुर आवर्धन जलप्रदाय योजना	2630.65	04.05.2016	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
14.	रायपुर	अभनपुर	गोबरा नवापारा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1951.40	19.05.2016	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
15.	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	लवन नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1087.02	14.02.2013	टेस्टिंग कार्य प्रगति पर
16.	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3052.81	21.04.2015	टेस्टिंग कार्य प्रगति पर
17.	रायपुर	आरंग	आरंग नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1690.22/ पुनरीक्षित 2004.66	10.03.2015 05.12.2017	–
18.	रायपुर	रायपुर ग्रामीण	माना केम्प आवर्धन जलप्रदाय योजना	941.66	17.04.2017	–
19.	रायपुर	धरसींवा	खरोरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1932.88	23.08.2017	–
20.	जांजगीर–चांपा	चंद्रपुर	डभरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1139.88	30.03.2017	–
21.	धमतरी	सिहावा	मगरलोड–भैंसमुड़ी की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1023.96	26.03.2016	–
22.	महासमुंद	महासमुंद	तुमगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	930.02	22.03.2016	–
23.	गरियाबंद	राजिम	राजिम नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	729.99/ पुनरीक्षित 1727.92	04.12.2015 09.08.2019	–
24.	बलौदाबाजार – भाटापारा	बिलाईगढ़	भटगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	973.90	14.02.2013	–
25.	बलौदाबाजार – भाटापारा	बिलाईगढ़	टुण्डरा नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना	634.39	14.02.2013	–
26.	बलौदाबाजार – भाटापारा	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2022.38	04.05.2016	–
27.	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	पलारी आवर्धन जलप्रदाय योजना	1065.24	30.03.2017	–

28.	दुर्ग	पाटन	पाटन नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1524.00/ पुनरीक्षित 1918.21	15.09.2015 01.07.2019	—
29.	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण	उतई नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1465.89	05.02.2016	—
30.	बालोद	बालोद	बालोद नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1884.00/ पुनरीक्षित 2425.55	14.02.2018 14.01.2018	—
31.	बालोद	डौंडीलोहारा	दल्लीराजहरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3165.66	04.06.2016	—
32.	राजनांदगांव	डोंगरगांव	डोंगरगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना	1113.91	06.10.2015	—
33.	बिलासपुर	मरवाही	गौरेला नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1142.26/ पुनरीक्षित 1520.56	29.04.2013 26.02.2018	—
34.	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1164.99	28.03.2018	—
35.	रायगढ़	धरमजयगढ़	घरघोड़ा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	314.97	12.03.2013	—
36.	रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	856.87/ पुनरीक्षित 1208.49	12.02.2013 30.05.2019	—
37.	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर आवर्धन जलप्रदाय योजना	689.92/ पुनरीक्षित 794.00	04.06.2016 01.07.2019	—
38.	रायगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना	3447.80	28.03.2018	—
39.	रायगढ़	सारंगढ़	बरमकेला आवर्धन जलप्रदाय योजना	1333.04	31.03.2017	—
40.	बलरामपुर	प्रतापपुर	वाड्रफनगर आवर्धन जलप्रदाय योजना	969.96	31.03.2017	—
41.	बलरामपुर	सांमरी	राजपुर आवर्धन जलप्रदाय योजना	857.66	19.03.2012	—
42	सूरजपुर	प्रेमनगर	सूरजपुर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2352.40	25.03.2015	—
43.	कोरबा	तानाखार	पाली आवर्धन जलप्रदाय योजना	794.16	31.03.2017	—
44.	कोरबा	कटघोरा	छुरीकला आवर्धन जलप्रदाय योजना	1089.55	31.03.2017	—
45.	जशपुर	जशपुर	बगीचा आवर्धन जलप्रदाय योजना	977.56	31.03.2017	—
46.	जशपुर	पत्थलगांव	कोतबा आवर्धन जलप्रदाय योजना	801.37	31.03.2017	—

47.	कोण्डागांव	केशकाल	केशकाल नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	649.90/ पुनरीक्षित 917.14	14.02.2013 20.04.2017	—
48.	कोण्डागांव	केशकाल	फरसगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	653.41/ पुनरीक्षित 938.52	14.02.2013 30.10.2017	—
49.	कांकेर	कांकेर	कांकेर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2454.46	30.05.2012	—
50.	कांकेर	भानुप्रतापपुर	चारामा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	933.31	26.02.2018	—
51.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	बारसूर आवर्धन जलप्रदाय योजना	1012.57	04.05.2016	—
52.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	किरंदुल नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	616.59	08.03.2010	—
53.	बीजापुर	बीजापुर	भैरमगढ़ आवर्धन जलप्रदाय योजना	1370.38	17.08.2017	—
54.	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर आवर्धन जलप्रदाय योजना	3448.70	31.03.2018	—

3.2 केंद्र प्रवर्तित/पोषित योजनाएं: केन्द्रीय वित्त पोषण पर पेयजल एवं संबंधित अन्य योजनाओं का कियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग में संचालित केन्द्र प्रवर्तित/पोषित योजना का विवरण निम्नानुसार है:–

3.2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम: ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 से ग्रामीण पेयजल नीति में परिवर्तन किया जाकर पूर्व संचालित ''गतिवर्धित ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम'' के स्थान पर "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष घटक–वार कार्ययोजना तैयार कर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित कार्ययोजना पर प्राप्त आबंटन अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण कर कियान्वयन किया जाता है। भारत सरकार पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 नवबंर, 2017 से जारी नवीन दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कियान्वयन मुख्यतः दो मदों में कियान्वित किया जा रहा है, विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) कव्हरेज मद :– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 90 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद के अंतर्गत ग्राम/बसाहटों में पेयजल आपूर्ति के कार्य किये जाने का प्रावधान है। साथ ही जलगुणवत्ता जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं भारी तत्व (हैवी मेटल) से प्रभावित बसाहटों में शुद्व पेयजल व्यवस्था करने का भी प्रावधान हैं। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 निर्धारित है।

(ब) सपोर्ट मदः– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 5 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। सपोर्ट मद के अंतर्गत योजनाओं के प्रचार–प्रसार, जन–जागरूकता एवं अन्य सहायक गतिविधियों के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित है।

(स) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी मदः– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 5 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद में पेयजल गुणवत्ता के परीक्षण हेतु जल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, फील्डटेस्ट किट का क्रय, जलपरीक्षण से संबंधित रसायनों का क्रय तथा जलगुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2019–20 में रू. 427.72 करोड़ की कार्ययोजना राज्य स्तरीय स्कीम सेंक्शनिंग कमेटी (SLSSC) द्वारा स्वीकृत की गयी है ।



एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. की वर्ष 2019–20 की वर्षिक कार्य योजना का अनुमोदन दिनांक 19.08.2019

पूर्व वर्षों के प्रगतिरत् कार्यों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्नानुसार नये कार्य लिये गये हैं :–

1. प्रगतिरत् कार्यः–
 नलजल प्रदाय योजना – 753 नग
2. नवीन कार्य :–
 खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित ग्रामों में नलजल प्रदाय योजना– 383 नग

(ब) सपोर्ट मद : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही योजनाओं को गति प्रदान करने एवं सॉफ्टवेयर गतिविधियों जैसे सूचना, शिक्षा, संचार, क्षमता वृद्धि आदि में सहायता के उद्देश्य से सहायक कार्यों का प्रावधान किया गया है। इनके अंतर्गत जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्य, जल परीक्षण, प्रयोगशाला स्थापना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां, प्रशिक्षण, सेमिनार के साथ–साथ संचार एवं क्षमता विकास के कार्य एवं मैनेजमेन्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) आदि के कार्य संपादित किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक गतिविधियों के लिए रू. 10.85 करोड़ तथा जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी गतिविधियों के लिए रू 11.86 करोड़ इस प्रकार दोनों गतिविधियों के लिए कुल रू. 22.71 करोड़ की कार्य योजना अनुमोदित है। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

सहायक गतिविधियाँ :– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत की जाने वाली सहायक गतिविधियों हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 5% अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं–

01. सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :

प्रशिक्षण, कार्यशाला, व्यक्तिगत् संपर्क, समाचार पत्र विज्ञापन, एस.एम.एस. से प्रचार, कला जत्था, मेला में प्रदर्शनी, दिवाल लेखन, बेनर, होर्डिंग, पोस्टर, पांपलेट, अच्छे कार्य एवं अनुभव के आदान प्रदान हेतु अवलोकन/भ्रमण कार्यक्रम (एक्सपोजर विजिट), प्रिन्ट सामाग्रियों का वितरण, सम्मान समारोह, रैली, सामाजिक जागरूकता/गतिशीलता, परामर्श, गीत–संगीत, नाटक, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा पेयजल के विषय पर प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ।

02. सामुदायिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण :

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन, सामुदायिक रैली, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों का बैठक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों को ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिकल्पना, अनुश्रवण एवं संचालन हेतु प्रशिक्षण तथा मैदानी स्तर के अमले के साथ–साथ विभागीय अभियंताओं का प्रशिक्षण आदि।

03. मैनेजमेन्ट इनफार्मेशन सिस्टम एवं अन्य सहायक गतिविधियॉ :

उपखण्ड़ स्तर तक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, प्रिंटर एवं यू.पी.एस. आदि का क्रय, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी.आई.एस. डाटा प्रोडक्ट एवं एलाईड गतिविधियाँ, समस्या निदान पद्धति एवं उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित मैप की सहायता से स्रोतों का चिन्हांकन, समस्त पेयजल स्रोतों का जी.आई. एस. मैपिंग एवं पेयजल स्रोतों के आँकड़ों के संकलन का कार्य, राज्य तकनीकी अभिकरण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ आदि।

04. स्थापना व्यय :–

छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (WSSO) में नियोजित अमले की स्थापना एवं सहायक सामग्रियों पर व्यय तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर हेतु मानव संसाधन एवं सहायक सामग्रियों की व्यवस्था हेतु।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक गतिविधियों में अन्य बातों के अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर समुदाय को पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी, जागरूकता एवं उनकी सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त सुरक्षित जल प्रदाय के लिए नलजल योजनाओं के माध्यम से घरेलू नल कनेक्शन द्वारा जलप्रदाय को प्राथमिकता दी जानी है ।

ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन के उपयोग के लिए प्रेरित एवं उपयोग सुनिश्चित किये जाने पर प्रत्येक निजी घरेलू कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन–कर्ता यथा, आशा कार्यकर्ता (मितानिन) इत्यादि को सपोर्ट मद से प्रोत्साहन राशि रू. 75.00 दिये जाने का प्रावधान है।

(स) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत की जाने वाली जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी के कार्य हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 5% अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियॉ प्रस्तावित हैं –

प्रदेश में स्थापित पेयजल स्रोतों का फील्ड टेस्ट किट एवं पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल परीक्षण का कार्य। 01 राज्य स्तरीय प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं 04 प्रयोगशालाओं का उन्नयन का कार्य। नये फील्ड टेस्ट किट प्रदाय के साथ पूर्व प्रदायित फील्ड टेस्ट किट के लिए आवश्यक रिफिल प्रदाय एवं ग्राम स्तर पर जल परीक्षण हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षण का कार्य। जी.आई.एस. मैपिंग के लिये स्रोत परीक्षण एवं डाटा संग्रहण का कार्य।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के लिए रू. 11.86 करोड़ की कार्ययोजना अनुमोदित है, के अंतर्गत लक्षित विवरण निम्नानुसार हैं:–

1.	ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण	–	9,261
2.	फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल परीक्षण	–	8,93,652
3.	प्रयोगशाला में जल परीक्षण	–	81,049
4.	राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना	–	01
5.	स्थापित प्रयोग शालाओं का उन्नयन	–	04
6.	नयी फील्ड टेस्ट किट का वितरण	–	7,424

जिला दुर्ग, रायपुर एवं राजनांदगांव की जिला स्तरीय जल प्रयोगशाला एन.ए.बी.एल. प्रमाणित है। राज्य की अन्य जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहा है।

3.2.4 राष्ट्रीय जलगुणवत्ता उप–मिशनः–

राज्य की फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में दिनांक 18 अगस्त, 2016 की स्थिति में पेयजल व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय जलगुणवत्ता उप–मिशन के अंतर्गत जिला महासमुंद के 15 एवं जिला कांकेर की 05 फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में फ्लोराईड रिमूवल प्लांट लगाये जाने का कार्य स्वीकृत है जिसकी स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्रामों/बसाहटों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	जिला	विकास खंड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	बसाहट की जनसंख्या	प्रभावित बसाहट की जनसंख्या
1.	महासमुन्द	बागबाहरा	चरोदा	चरोदा	चरोदा	1187	556
2.	महासमुन्द	बागबाहरा	जुनवानीखुर्द	जुनवानीखुर्द	जुनवानीखुर्द	1205	309
3.	महासमुन्द	बागबाहरा	मामा भांचा	डोंगरीपाली	डोंगरीपाली	709	199
4.	महासमुन्द	बागबाहरा	मोहदी	मोहदी	टिकरापारा	96	96
5.	महासमुन्द	बसना	चनाट	चनाट	चनाट	879	76
6.	महासमुन्द	महासमुंद	नांदगांव	नांदगांव	पटेलबाहरा	315	315
7.	महासमुन्द	महासमुंद	नवागांव	झीलमिला	झीलमिला	145	145
8.	महासमुन्द	महासमुंद	परसदा खट्टी	जीवतरा	जीवतरा	566	308
9.	महासमुन्द	महासमुंद	परसदा खट्टी	जीवतरा	कमारपारा	258	258
10.	महासमुन्द	महासमुंद	तोरला	सलिहाभाठा	आदिवासीपारा	268	268
11.	महासमुन्द	महासमुंद	तोरला	सलिहाभाठा	सलिहाभाठा	394	394
12.	महासमुन्द	महासमुंद	तोरला	तोरला	तोरला	601	601
13.	महासमुन्द	महासमुंद	तोरला	तोरला	तोरलापड़ाव	78	78
14.	महासमुन्द	सरायपाली	भीखापाली	कोकड़ी	कोकड़ी	324	324
15.	महासमुन्द	सरायपाली	दर्राभाटा	दर्राभाटा	दर्राभाटा	539	539
16.	कांकेर	नरहरपुर	साईमुण्डा	साईमुण्डा	आवासपारा	103	103
17.	कांकेर	नरहरपुर	साईमुण्डा	साईमुण्डा	डबरीपारा	127	127
18.	कांकेर	नरहरपुर	साईमुण्डा	साईमुण्डा	डोडरापारा	127	127
19.	कांकेर	नरहरपुर	साईमुण्डा	साईमुण्डा	खासपारा	185	185
20.	कांकेर	नरहरपुर	साईमुण्डा	साईमुण्डा	पटेलपारा	174	174
21.	कोरबा	कटघोरा	देवगांव	देवगांव	देवगांव	286	178

3.2.5 स्वजल योजनाः–

- राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में स्वजल योजना के अंतर्गत समुदाय के मांग पर सौर ऊर्जा आधारित मिनी जलप्रदाय योजना का क्रियान्वन किया जाना है।
- 10 आकांक्षी जिले क्रमशः बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कोरबा, राजनांदगांव एवं महासमुन्द सम्मिलित।

- घरेलू नल कनेक्शन को बढ़ावा दिया जाना है। जिससे खुले में शौच से मुक्त ग्रामों में शौचालयों के उपयोग की निरंतरता भी बनी रहे।
- योजना का कियान्वयन एवं संचालन–संधारण समुदाय के द्वारा किया जाना है।
- योजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत समुदाय के सहयोग से शेष राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य शासन को भारित होगा।
- योजना का संचालन–संधारण की राशि शतप्रतिशत समुदाय द्वारा वहन किया जावेगा।
- स्वजल योजना के अंतर्गत पायलेट प्रोजेक्ट बस्तर जिले के ग्राम सेड़वा विकासखण्ड दरभा में कियान्वित किया गया है। योजना का कार्य दिनांक 10.10.2018 को पूर्ण कर ग्राम में जल प्रदाय किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार हैः–
 - स्त्रोत – 03 नग नलकूप मय सोलर पम्प (1 HP)
 - टंकी – 03 नग 10000 ली. HDPE टंकी
 - स्टेजिंग – 06 मी. जी.आई. फ्रेम्ड स्ट्रक्चर
 - घरेलू कनेक्शन – 138
 - शाला, आँगनबाड़ी एवं बालिका छात्रावास में नल संयोजन – 01 (प्रत्येक)
 - योजना का संधारण–संचालन – ग्राम पंचायत एवं महिला स्व–सहायता समूह द्वारा योजना का कार्य पूर्ण कर ग्राम में जल प्रदाय किया जा रहा है।





स्वजल योजना ग्राम सेड़वा, विकासखण्ड दरभा, जिला बस्तर

3.2.6 छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.) :–

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्र क्रमांक डब्लू–11037/51/2002–टी.एम.– IV (पी.टी.–), दिनांक 16.06.2003 के साथ प्रेषित मार्गदर्शिका अनुसार ''राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)'' का गठन छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1761/एफ–8–1/03/34–2/03, दिनांक 21.08.2003, के द्वारा किया गया था। ''राज्य पेयजल एवं स्व्च्छता मिशन (SWSM)'' का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन 1973 का क्रमांक 44) के अंतर्गत दिनांक 23.10.2003 को किया गया, जिसका पंजीयन क्रमांक छ.ग. राज्य–430/2003 है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली के द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2009 से लागू राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) की मार्गदर्शिका (Guideline) के पैरा 10 एवं 12.4 परिशिष्ट VII पैरा 4 एवं भारत सरकार के पत्र क्रमांक W–11042/72/2009–Water दिनांक 24.08.2010 द्वारा जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन की स्थापना के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (WSSO) का गठन किया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक 2291/एफ–9–22/2011/34–2/02, दिनांक 22.12.2011 द्वारा WSSO की कार्यप्रणाली उत्तरदायित्व आदि के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किया गया है। उक्त दिशा–निर्देशों को अमल में लाते हुए WSSO को संचालित किया जा रहा है।

WSSO के कार्य SLSSC से अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2019–20 अनुसार एवं भारत सरकार की वेब साईट पर अपलोड अनुसार संचालक, WSSO के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्ययोजना में विगत वित्तीय वर्षों में चल रहे कार्यों जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में प्रगतिरत् होने के कारण रखा गया है, भी शामिल है। शासन के आदेश क्रमांक 2291, दिनांक 22.12.2011 में शासन द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए आदेश क्रमांक 3706, दिनांक 30.09.2015 द्वारा संचालक WSSO, प्रमुख अभियंता एवं सदस्य सचिव, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (कार्यकारिणी समिति) निर्देशन मे कार्य करेंगे।

<u>संगठन द्वारा किये गये कार्य</u> :–

वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) में छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (WSSO) द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्य संपादित किए गए :–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अंतर्गत वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर बनाया गया। इसमें मानव संसाधनों तथा कार्यक्रम के स्टेक होल्डरों यथा ग्राम पंचायतों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति अंतर्गत कार्यरत् VWSC, जन प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल्स विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया।

2. जिलों में प्रयोगशालाओं को NABL प्रमाणन प्राप्त करने विगत वर्ष के संवेदन–उत्प्रेरण कार्यशाला की अनुशंसा को कार्यरूप में बदलने के लिए विभाग के परिक्षेत्र, मण्डल एवं खण्ड कार्यालयों को प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से कार्य करने प्रेरित किया गया।
3. राज्य स्तरीय स्कीम सेंक्शनिंग कमेटी (SLSSC) के लिए सपोर्ट कार्यों के लिए वार्षिक कार्ययोजना 2019–20 बनाने भारत सरकार की नई नीति एवं निर्देशों के अनुरूप मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
4. सपोर्ट कार्यों के अंतर्गत IEC/HRD, M&E, STA तथा R&D गतिविधियों को कियान्वित करने प्रस्ताव प्रेषित किये गए। प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सदस्य सचिव SWSM (executive committee) के मार्गदर्शन पर प्राथमिकता निर्धारित करते हुए कार्य संपन्न किये गए।
5. प्रचार–प्रसार की सामग्री जिलों को उपलब्ध कराकर विभिन्न जिलों के मेलों, राज्योत्सवों एवं अन्य आयोजनों में पेयजल के क्षेत्र में प्राप्त विभागीय उपलब्धियों, पेयजल की गुणवत्ता, दूषित पेयजल स्त्रोत की सुरक्षा एवं साफ–सफाई इत्यादि विषयों पर जन–जागरूकता लाने एवं ग्रामीणों की क्षमता विकास करने कार्यक्रमों में जिलों को सहयोग प्रदान किया गया।
6. बलौदाबाजार जिले के सिमगा विकासखण्ड के ग्राम खडुआ में नल–जल योजना बनाने के लिए उचित नलकूप स्थल का चिन्हांकन वैज्ञानिक तरीके से करवाकर, स्थल निरीक्षण कर, का.अ., बलौदाबाजार को योजना के सोर्स की वैज्ञानिक तरीके से यील्ड टेस्ट करने निर्देशित किया गया।
7. दिनांक 10.03.2019 को बिलासपुर एवं कोरबा जिले के भूजल–स्त्रोत समस्याग्रस्त ग्रामों का भ्रमणकर वैज्ञानिक तरीके से स्त्रोत प्राप्त करने का.अ., स.अ. एवं उप–अभियंता को कार्यस्थल पर निर्देशित किया गया।
8. दिनांक 11.05.2019 को हाईकोर्ट बिलासपुर में पेयजल स्त्रोत सूखने के कारण उत्पन्न पेयजल–समस्या पर कार्यस्थल पर प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अ.अ., लो.स्वा.यां. मण्डल–बिलासपुर, का.अ.,लो.स्वा.यां. खण्ड बिलासपुर तथा का.अ. (वि./यां.), लो.स्वा.यां. बिलासपुर के साथ निरीक्षण किया गया। वैज्ञानिक तरीके से नवीन भूगर्भीय जल स्त्रोत का चिन्हांकन GPS के माध्यम से किया गया तथा VES हेतु विभागीय भूजलविदों को पॉईंट दिये गये। उल्लेखनीय है कि, वैज्ञानिक तरीके से सुझाये गए स्थल पर अपेक्षित यील्ड प्राप्त हुई तथा हाईकोर्ट की पेयजल समस्या का पश्चतात्वर्ती कार्यों एवं निरीक्षण से सफलतापूर्वक निदान किया गया।

3.2.7 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं कियान्वयन प्रकोष्ठः–

भारत सरकार पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका 2013 यथा संशोधित अनुसार विभाग में पर्यवेक्षण एवं कियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन

शासन द्वारा किया गया है। प्रकोष्ठ का उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के अनुश्रवण का है। प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन 50 प्रतिशत राज्यांश एवं 50 प्रतिशत एन.आर. डी.डब्ल्यू.पी. सपोर्ट मद से किया जा रहा है।

'जल जीवन मिशन :

भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के स्थान पर **''जल जीवन मिशन''** प्रारंभ किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है : –

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में ''जल जीवन मिशन'' की घोषणा की है। जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में ''हर घर नल से जल'' उपलब्ध कराया जाना है।

भारत सरकार द्वारा ''जल जीवन मिशन'' पर कार्य किये जाने हेतु दिनांक 25.12.2019 मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

1. **उद्देश्य :–** प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अग्रणी सस्ती सेवा वितरण शुल्कों पर नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित मात्रा में पेयजल आपूर्ति है।
2. **वित्तीय विन्यास :–**
 - i. गैर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं में सामुदायिक अंशदान 5% अनुसूचित जाति/जनजाति (जहां ऐसी आबादी 50% से अधिक हो तथा पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत आबादियों के लिए) और 10% शेष क्षेत्रों के लिए।
 - ii. योजना की शेश राशि का केन्द्रांश एवं राज्यांश, 50:50 प्रतिशत होगा।
3. **वित्तीय स्रोत :–**
 - I. जेजेएम केन्द्रांश।
 - ii. जेजेएम राज्यांश।
 - iii. सांसद निधि (केन्द्रांश)।
 - iv. विधायक अनुदान (राज्यांश)।
 - v. वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रांश एवं राज्यांश में तदानुसार सम्मिलित होगी।

vi. सामुदायिक योगदान (केवल गाँव के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे के लिए)।

vii. अन्य स्रोत जैसे सीएसआर, डीएमएफ, लोकोपकार आदि (कुल परियोजना लागत के विरूद्ध)।

viii. मनरेगा राशि के अभिसरण के माध्यम से स्रोत स्थिरता और ग्रे जल प्रबंधन।

4. संस्थागत तंत्र :–

i. राष्ट्रीय स्तर – राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM)

ii. राज्य स्तर – राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)

iii. जिला स्तर – जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)

iv. ग्राम पंचायत स्तर – पानी समिति / ग्राम जल स्वच्छता समिति (VWSC)

- जल जीवन मिशन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन एसडब्ल्यूएसएम को वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित करेगी। तदोपरांत एसडब्ल्यूएसएम, डीडब्ल्यूएसएम को जिले के अंदर जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु शक्तियां प्रदान की जावेगी।
- एसडब्लयूएसएम एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, जल संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका, आदि के क्षेत्र में काम करने वाले उपयुक्त जिलेवार गैर–सरकारी संगठनों की पहचान करेगा।
- प्रत्येक एनजीओ को 25–50 गांवों या एक ब्लॉक में निम्नलिखित कार्यों की सुविधा प्रदान करने के लिए आवंटित किया जाएगा :–

i. लोगों की आकांक्षाओं की मजबूती।

ii. संसाधन मानचित्रण।

iii. पानी के विभिन्न पहलुओं पर सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता। उदाहरण के लिए पीने योग्य जल, स्वास्थ्य–विज्ञान, वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल की गुणवत्ता, जल जनित रोग, जल की बचत एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि।

iv. समुदाय का क्षमता निर्माण।

v. पेयजल स्रोत संवर्धन / स्थिरता के पहलू

vi. व्हीडब्ल्यूएससी का बैंक खाते खोलना।

vii. योजनाओं को लागू करने के लिए समुदाय की सुविधा प्रदान करना।

5. समुदाय का अंशदान :–

i. योजना के लागत में अंशदान (Cap- Ex)

क. ग्राम के भीतर (इन विलेज) जल प्रदाय संरचना के लिए 10 प्रतिशत अंशदान नगद / वस्तु / श्रम (Cash/Kind/ Labour)।

ख. 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ग्रामों हेतु 5 प्रतिशत अंशदान नगद / वस्तु / श्रम (Cash/Kind/Labour)।

ग. पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 5 प्रतिशत अंशदान।

घ. अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान या दान के मामले में, शेष राशि, 10 प्रतिशत / 5 प्रतिशत (जैसा भी मामला हो), समुदाय का अंशदान होगा।

च. समुदाय मूल मॉडल से अधिक Service delivery की योजना बना सकता है, इस शर्त के अधीन, कि मूल मॉडल से परे पूरी लागत उनके द्वारा वहन की जाएगी।

ii. योजना के संचालन–संधारण हेतु अंशदान (Om-Ex) :–

क. संबंधित राज्यों के द्वारा नल कनेक्शन शुल्क, जल–कर दरें एवं अन्य शुल्क निर्धारण करने तथा करों की वसूली का अधिकार पंचायतों को सौपे जाने की कार्यवाही करेगी।

ख. योजना की लागत का 10 प्रतिशत राशि संचालन एवं संधारण कार्य हेतु अनुदान पारितोषक के रूप में प्रदान की जावेगी जिसका उपयोग योजना के आकस्मिक संचालन एवं संधारण में किया जावेगा जिसकी भरपाई समुदाय के द्वारा करों से किया जावेगा, जो रिवाल्विंग फंड के रूप में रहेगा।

6. योजनाएं एवं क्रियान्वयन :–

योजनांतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर में एक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन, (FHTC) जिसके माध्यम से उचित मात्रा (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन), उचित गुणवत्ता का नियमित जलप्रदाय वहन योग्य शुल्क पर दिया जावेगा। इसके लिये आवश्यक कार्य निम्नानुसार किये जाने होंगे :–

I. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में क्रियान्वित एवं हस्तांतरित समस्त नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घरों में एक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने हेतु आवश्यक समस्त रेट्रोफिटिंग के कार्य।

ii. ग्राम के अंदर जलप्रदाय योजना के अधोसंरचना में घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करने के कार्य को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जावेगा जिसके अंतर्गत इस योजना से केवल एक नल कनेक्शन की लागत को योजना में भारित किया जावेगा।

iii. जल जीवन मिशन की योजनाओं में क्रियान्वयन, सपोर्ट एजेन्सी (ISA) की भागीदारी से ग्राम पंचायतों एवं भागीदारों के उन्नयन एवं क्षमता विकास सहित योजना के परिकल्पन एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान किया जावेगा।

iv. ग्राम के अंदर जलप्रदाय योजना हेतु ''ग्राम कार्ययोजना'' (Village Action Plan) इस प्रकार बनाई जावेगी ताकि योजना से ग्राम के सभी घरों को FHTC की उपलब्धता हो सकेगी।

v. इस प्रकार जिले के सभी ग्रामों के व्हीएपी को एकीकृत करते हुए जिला कार्य योजना (District Action Plan) तैयार की जावेगी तथा सभी जिलों के डीएपी को एकीकृत करते हुए राज्य कार्य योजना (State Action Plan) बनायी जावेगी।

vi. जहां पर्याप्त भू–जल स्रोत उपलब्ध हैं वहॉ एकल ग्राम योजना (SVS) का क्रियान्वयन कर FHTC प्रदान किया जावेगा।

vii. सतही स्रोत उपलब्धता के आधार पर बाहुल्य ग्राम योजना (MVS) का क्रियान्वयन कर FHTC प्रदान किया जावेगा।

viii. ऐसी बसाहटें जहां भू–जल का स्रोत गुणवत्ता से प्रभावित है, वहां सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाते हुए, तत्कालिक व्यवस्था अंतर्गत केवल पीने एवं खाना बनाने हेतु जल उपलब्ध कराया जावेगा। दीर्घकालिक व्यवस्था के अंतर्गत सतही अथवा उपयुक्त भू–जल स्रोतों का विकास कर योजना क्रियान्वित करते हुए FHTC प्रदान किया जावेगा।

ix. पंचायती राज्य संस्थाओं द्वारा ग्राम के अंदर पेयजल हेतु आधारभूत संरचनाओं के क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान किया जावेगा।

x. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बाहुल्य ग्राम योजनाओं एवं गुणवत्ता से प्रभावित भू–जल स्रोत पर आधारित योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए FHTC प्रदान किया जावेगा।

xi. ग्राम पंचायतों को उन्हें प्रदायित अधिकारों के अंतर्गत FHTC हेतु प्रदान करने हेतु प्राप्त शुल्क और कर की वसूली से प्राप्त धनराशि के माध्यम से योजना का संचालन एवं संधारण किया जावेगा।

xii. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगतिरत योजनाओं को जल जीवन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के अनुरूप क्रियान्वित किया जावे।

7. जल जीवन मिशन के तहत एकीकृत जल प्रबंधन और आपूर्ति :–

स्रोत सुदृढ़ीकरण/संवर्धन, सभी सार्वजनिक भवनों पर वर्षा जल संचयन, बोरवेल रिचार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं स्रोत स्थिरता हेतु मनरेगा, एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना (आईडब्ल्यूएमपी), वित्त आयोग के अनुदान, राज्य योजना, एमपी लेड, एमएलए लेड, सीएसआर आदि मदों के अभिसरण से बुनियादी ढाँचे का विकास, निर्माण एवं पुनर्जिवीकरण।

i. अपशिष्ट जल प्रबंधन (Grey water management)।

ii. अपशिष्ट जल संवहन एवं संकलन हेतु नालियों का निर्माण ।

iii. सामुदायिक सोखता गड्ढा/अपशिष्ट स्थिरीकरण हेतु टैंको (Community soak pits/ waste stabalization ponds) का निर्माण।

8. अन्य पहलू :–

(क) प्रत्येक घरेलू नल कनेक्शन को एस.बी.एम. हाउसहोल्ड डाटा के अनुसार टैग करना।

(ख) स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता एजेन्सी (Independent third party) द्वारा सम–सामयिक अनुश्रवण (Concurrent monitoring)।

(ग) प्रदान किये गये घरेलू नल कनेक्शनों एवं उनकी पुष्टी के आधार पर राशि जारी किया जाना – All assets to be geo-tagged.

(ग) ग्राम में FHTC से नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के जल प्रदाय के डाटा को आईओटी/आई क्लाउड से मानिटरिंग किया जावेगा।

(घ.) डिजीटल तकनीक का वृहद उपयोग प्रस्तावित।

9. राज्य से अपेक्षाएं :–

(क) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को FHTC की सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य की प्रतिबद्धता।

(ख) राज्यांश (मेचिंग राशि) हेतु राज्य के बजट में प्रावधान हेतु प्रतिबद्धता।

(ग) राज्य द्वारा कार्यान्वयन और संचालन एवं संधारण की समग्र पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना।

(घ) सभी जिलों में परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit) की स्थापना।

(च) वित्तीय लेनदेन PFMS Platform पर किया जाना।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का एक जन कल्याणकारी, तकनीकी कार्यविभाग है। पेयजल के क्षेत्र में जहां विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, वहीं ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में विभाग से सलाहकार, समन्वयक एवं प्रोत्साहक की भूमिका अपेक्षित है। विभाग की गतिविधियों का सीधा संबंध जन सामान्य से है एवं बदली हुई परिस्थितियों में शासकीय योजनाओं की परिकल्पना, आयोजना के साथ ही उनके संचालन एवं संधारण व्यवस्था में जन सामान्य की आवश्यकता, मान्यता एवं उनके सुझावों सहित भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए जहां जन सामान्य को सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित एवं जागरूक करते हुए इस महती भूमिका के निर्वहन के लिए सक्षम बनाया जाना है वहीं तकनीकी अमला जो योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन, क्रियान्वयन एवं संचालन–संधारण से संबद्ध है, उन्हें भी समसामयिक कर्तव्यों के लिए तकनीकी विषयों के प्रशिक्षण के साथ ही साथ सूचना, शिक्षा, संचार एवं जनसहभागिता के लिए आवश्यक विषयों के ज्ञान एवं नये–नये विषयों से अवगत कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी स्तर के अमले के साथ ही अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे हितग्राहियों, पंचायती राज संस्थाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिसरण के लिए अन्य विभागों के मैदानी स्तर के शासकीय अमले को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तकनीकी एवं सामान्य विषयों पर विभाग के 100 अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अन्य स्टेक होल्डरों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के तहत विभिन्न विषयों में 50 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष का प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया है।

वर्ष 2019 के दौरान जिन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभागीय अमले की भागीदारी रही है वह निम्नानुसार हैं
(दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक)

क्रं.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि (दिनांक, से – तक)	प्रशिक्षण स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
1	कम्प्यूटर ट्रेनिंग फॉर मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट	1) 21.01.2019 से 02.02.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	04
2	डिजास्टर मैनेजमेन्ट	1) 11.03.2019 से 15.03.2019 2) 13.11.2019 से 15.11.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02 02
3	हीटवेब मीटिगेशन एन्ड मैनेजमेंट	1) 30.05.2019 से 01.06.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
4	स्टोर पर्चेस रूल्स एन्ड टेन्डर प्रोसिस	1) 23.12.2019 से 28.12.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
5	आंतरिक लेखा परीक्षण, अंकेक्षण उनका पालन प्रतिवेदन।	1) 26.08.2019 से 30.08.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
6	छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 छ.ग. अवकाश नियम तथा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 एवं गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन विषय पर प्रशिक्षण।	1) 16.09.2019 से 20.09.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
7	आधारभूत प्रशिक्षण (उप अभियंता)	1) 19.08.2019 से 31.08.2019 2) 30.09.2019 से 11.10.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	23 22
8	परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम बाबत– सहायक अभियंता (सिविल)	1) 23.09.2019 से 11.10.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी नमोरा रायपुर	25
9	अप्रेंटिश एक्ट 1961 के तहत विभिन्न ट्रेडों (सिविल इंजी., कम्पयूटर इंजी., आई टी. इंजी., मेके. इंजी., डिग्री/डिप्लोमा एंव मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट डिप्लोमा) में प्रशिक्षण	1) 01.01.2019 से 31.12.2019	विभाग के विभिन्न कार्यालयों में	50

क्रं.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
10	सूचना का अधिकार अधिनियम् 2005 विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	1) 03.06.2019 से 04.06.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
		2) 22.07.2019 से 24.07.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
		3) 13.08.2019 से 14.08.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
		4) 13.11.2019 से 15.11.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
		5) 05.12.2019 से 07.12.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
		6) 16.12.2019 से 17.12.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
		7) 30.12.2019 से 31.12.2019	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
			कुल	150

छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंताओं का परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम
दिनांक : 23.09.2019 से 11.10.2019



भाग - पांच

विभागीय प्रकाशन

.....निरंक.....



छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर, उप–अभियंताओं का प्रशिक्षण

भाग - छः

अभिनव योजना

6.1 मिनीमाता अमृत धारा नल योजना–

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित नलजल योजनाओं से बी.पी. एल. परिवारों को निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु ''मिनीमाता अमृत–धारा योजना'' के रूप में नवीन योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके लिए रूपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये किया गया है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत कुल 16,171 घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये गये हैं।



भाग - सात

सारांश

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नोडल विभाग है। जन सामान्य के लिए शुद्ध पेयजल की निरंतरता एवं पर्याप्त उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की निरंतर एवं पर्याप्त उपलब्धता के लिए पेयजल की गुणवत्ता के साथ–साथ भू–जल संवर्धन के कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसके लिए यथोचित प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हैंडपंप और नल जल योजनाओं के द्वारा की जा रही हैं वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए उनकी मांग अनुसार जलप्रदाय योजनाओं का अभिकल्पन, रूपांकन एवं क्रियान्वयन भी किया जाता है।

7.1 ग्रामीण पेयजल व्यवस्थाः–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य मद की योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निरंतर, गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। ग्रामीण जनों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उनके घरों में ही उपलब्ध कराए जाने की दिशा में विभाग द्वारा जहां नलजल प्रदाय योजनाओं का अधिक से अधिक क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी–छोटी बसाहटों में भी सोलर पंप आधारित जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से भी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है।

भू–जल स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतही स्रोत पर आधारित बहुल ग्राम जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में विभिन्न तकनीकों पर आधारित शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल प्रदाय के प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की निरंतरता बनाये रखने, संचालन–संधारण, नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य किये जा रहे हैं। राज्य की फ्लोराईड से प्रभावित बसाहटों में दिनांक 18 अगस्त, 2016 की स्थिति में शेष गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय जलगुणवत्ता उप–मिशन के अंतर्गत जिला महासमुंद के 15 एवं जिला कांकेर के 05 फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में फ्लोराईड रिमूवल प्लांट लगाये जाने का कार्य किया जावेगा।

पेयजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं उस पर निगरानी के लिए लगातार पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ चलित प्रयोगशाला की

भी व्यवस्था की गई है। इसी की निरंतरता में प्रदेश के समस्त 27 जिलों के समस्त पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी.आई.एस. मानक अनुसार 18 पैरामीटर पर करते हुए जी.पी.एस. डाटा कलेक्शन सेनेटरी सर्वे सहित प्रत्येक स्रोत की डिजिटल GIS Maping के कार्य की योजना प्रगतिरत् है।

यूनीसेफ के सहयोग से श्री राम इस्टीट्यूट फॉर इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा राज्य मे तीन बार कार्यशाला आयोजित कर पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के कुशल संचालन हेतु मानक संचालन कार्य विधियां (SOP) तैयार किया गया।

यूनीसेफ के सहयोग से श्री राम इस्टीट्यूट फॉर इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समस्त जिले के पेय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के केमिस्ट एवं सहायक केमिस्ट को प्रयोगशाला के सुचारू संचालन व गुणवत्त परीक्षण हेतु 6 दिवसीय 3 बैचों में राजनांदगांव जिले में स्थिति एन.ए.बी.एल. प्रयोग शाला में हैण्ड होल्डिंग कार्यशाला आयोजित की गयी।

यूनीसेफ के सहयोग से श्री राम इस्टीट्यूट फॉर इण्डस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा राज्य स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला विभाग में कार्यरत नव नियुक्त सहायक अभियंता एवं उप अभियंता व जिले के प्रयोगशाला प्रभारियों की कार्यशाला आयोजित की गयी।



श्री राम इस्टीटयूट फार इण्डस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण दिनांक 25.09.2019

एन.जी.ओ. की भागीदारी– यूनीसेफ के सहयोग से आकांक्षी जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा एवं राजनांदगांव में सामुदायिक आधारित शुद्ध पेयजल उपलब्धता एवं जल गुणवत्ता की निगरानी तथा संचार गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास हेतु वसुधा विकास संस्थान, धार, मध्यप्रदेश एवं रामकृष्ण आश्रम, नारायणपुर द्वारा कार्य किया जा रहा है।

ग्राम सुपेबेड़ा में शुद्ध पेयजल व्यवस्था पर किये गये कार्यों की जानकारी :–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अद्यतन स्थिति	कार्य प्रारंभ का दिनांक	कार्य पूर्ण का दिनांक
1	ग्रामवासियों द्वारा ग्राम से बाहर के पानी उपलब्ध कराने की मांग के कारण ग्राम से 02 कि.मी. बाहर ग्राम निष्ठीगुड़ा में नलजल योजना के स्रोत हेतु 02 नलकूपों का खनन	दोनों स्रोत सफल	16.06.2017	17.06.2017
2	लो–वोल्टेज की समस्या के कारण ग्राम सुपेबेड़ा में 01 नग ड्यूल ऑपरेटेड सोलर पंप की स्थापना का कार्य	कार्य पूर्ण	05.07.2017	14.03.2018
3	ग्राम से बाहर निष्ठीगुड़ा से पाईप लाईन के माध्यम से ग्राम सुपेबेड़ा में जल प्रदाय हेतु पाईप लाईन का कार्य	कार्य पूर्ण	31.07.2017	16.08.2017
4	सोलर आधारित 03 नग आर्सेनिक रिमूवल प्लांट की स्थापना (एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी. मद)	कार्य पूर्ण	16.08.2017	28.02.2018
5	प्रभावित क्षेत्र में लो–वोल्टेज की समस्या के कारण ग्राम निष्ठीगुड़ा के नलजल योजना के पावरपंपों हेतु सोलर आधारित पावरपंप की स्थापना का कार्य	कार्य पूर्ण	19.12.2017	14.03.2018
6	सोलर आधारित 03 नग फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट (राज्य मद) की स्थापना	कार्य पूर्ण	07.02.2018	31.03.2018
7	ग्रामवासियों के मांग पर सुपेबेड़ा में नलजल योजना के अंतर्गत पूर्व में बिछाये गये पुराने पाईप लाईन को बदलने का कार्य	कार्य पूर्ण	09.02.2018	22.02.2018
8	ग्रामवासियों की मांग पर ग्राम सुपेबेड़ा में अतिरिक्त पाईप लाईन बिछाने का कार्य	कार्य प्रगति पर	11.09.2018	30.09.2018

ग्राम सुपेबेड़ा में विभाग द्वारा लो वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु सोलर पावर आधारित दो पावर पंप, सोलर पावर आधारित 3 आर्सेनिक रिमूव्हल प्लांट एवं सोलर पावर आधारित 3 फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। ग्राम में स्थापित 6 हैण्डपंप एवं 1 सोलर पंप के जल का उपयोग ग्रामवासी निस्तारी के लिए करते है।

इस प्रकार ग्राम सुपेबेड़ा के निवासियों को लगभग 100 ली. प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन का शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जो राष्ट्रीय मापदण्ड 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से अधिक है। ग्राम में 80 नग घरेलू नल कनेक्शन भी ग्राम पंचायत के द्वारा प्रदान किया गया है।

तेल नदी पर आधारित सतही स्रोत से 09 ग्रामों की ''सुपेबेड़ा समूह जलप्रदाय योजना'' लागत रू. 1,278.29 लाख दिनांक 23.11.2019 स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना से वर्ष 2021 की 7708 ग्रामीण जन संख्या लाभान्वित होगी।

7.2 नगरीय पेयजल व्यवस्था

प्रदेश में पेयजल प्रदाय के क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को विशेषज्ञ अभिकरण की हैसियत प्राप्त है। विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिए उनकी मांग के अनुसार जल प्रदाय योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। छ0ग0 राज्य गठन के पश्चात् प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। पूर्व नगरीय क्षेत्रों में क्रियान्वित पेयजल योजनाओं का वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप आवर्धित करने के साथ ही नवीन नगरीय निकायों में ग्रामीण मापदण्ड आधारित क्रियान्वित जलप्रदाय योजनाओं के स्थान पर नगरीय मापदण्ड आधारित योजनाएं स्वीकृत एवं क्रियान्वित की जा रही है।

7.3 विविधः–

विभाग का मुख्य दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था है, जो मुख्यतः भू–गर्भीय स्रोतों पर आधारित है। भू–गर्भीय जल स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग से जहां एक ओर भू–गर्भीय जल की उपलब्धता कम हुई है, वहीं उपलब्ध भू–गर्भीय जल में गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। विभाग द्वारा सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भूजल संवर्धन कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत पर आधारित बहुल ग्राम जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी भू–जल स्रोतों पर आधारित योजनाओं का मांग अनुसार सतही स्रोत पर आवर्धन किया जा रहा है। पेयजल गुणवत्ता की समस्या के हल हेतु आयरन, फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट की स्थापना प्रायोगिक रूप से कर, विभाग आधुनिक तकनीकी के उपयोग से अपने आपको समसामयिक बनाये रखने के लिये निरंतर प्रयासरत् है। इस दिशा में उपखंड स्तर तक

कम्प्यूटरीकरण किया गया है तथा ऑन लाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग, प्रस्तावित ग्राम स्तर तक जी.आई.एस. मेपिंग एवं भू–जल संवर्धन योजनाओं हेतु सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग, नलकूप खनन हेतु अत्याधुनिक रिग मशीनें एवं इनका रियलटाइम ऑनलाइन मॉनीटरिंग, जल शोधन संयंत्रों में SCADA तकनीक का उपयोग, ई–प्रोक्योरमेंट, ई–वर्क्स प्रक्रिया का उपयोग एवं टॉल फ्री सेवा से त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था का उल्लेखनीय कदम हैं।

पूर्व में जिला दुर्ग, राजनांदगांव एवं रायपुर की जिला स्तरीय जल प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणन पत्र प्राप्त हो चुका था। राज्य की अन्य जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहा है।



एन.ए.बी.एल. जिला स्तरीय जल प्रयोगशाला, दुर्ग

वर्तमान में विभाग के पास 1:50,000 स्केल के हाइड्रो–जियो–मार्फोलॉजिकल नक्शे उपलब्ध है जिनका उपयोग विभाग द्वारा नलकूप खनन हेतु वैज्ञानिक तरीकों से किया जा रहा है।

जिला राजनांदगांव, के विकासखण्ड राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ के 151 ग्रामों तथा जिला बेमेतरा के विकासखण्ड बेमेतरा, बेरला, नगवागढ़, साजा के 80 ग्रामों तथा जिला मुंगेली, के विकासखण्ड मुंगेली, पथरिया के 52 ग्रामों के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, क्षेत्रिय सुदूर संवेदन केन्द्र– मध्य, नागपुर (NRSA)

द्वारा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के माध्यम से 1:10,000 स्केल पर हाइड्रो–जियो–मॉर्फोलॉजिकल नक्शे आवश्यकतानुसार तैयार कराये गये है। जिनका उपयोग नलकूप खनन हेतु यथोचित स्थल के चयन हेतु उपयोग किया जा रहा है।

- प्रदेश के पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता के भू–जल स्त्रोत प्राप्त करने एवं उनके फिल्ड में समुचित चिन्हांकन हेतु 1:10,000 स्केल पर हाइड्रो–जियो–मार्फोलॉजिकल नक्शे तैयार करने हेतु एन.आर.एस.ए. हैदराबाद को प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।
- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 1800–233–0008 स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसंबर तक हैण्डपंप संधारण हेतु कुल प्राप्त शिकायतें 2003, जिसमें से 1890 शिकायतों का निराकरण किया गया।
- **हैण्डपंप ट्रैकर (Hand Pump Tracker)**

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु वर्तमान में लगभग 2,77,970 हैण्डपंप क्रियान्वित है जिनकी बेहतर निगरानी हेतु इस मोबाईल आधारित प्रणाली का विकास किया गया है। इस प्रणाली से हैण्डपंप की ऑनलाईन जी.आई.एस. लोकेशन जानकारी प्राप्त की जाती है कि राज्य में कितने प्रतिशत हैण्डपंप विभिन्न कारणों से खराब है तथा इन हैण्डपंप के सुधार में औसतन कितने दिन लग रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही इस प्रणाली का उपयोग प्री–मानसून एवं पोस्ट–मानसून भूजल स्तर की जानकारी एकत्रित करने हेतु भी किया जा रहा है।

जल ही जीवन है।



जल को बचाएं। कल अपना सजाएं।।
सब को ये बताएं। पानी न व्यर्थ बहाएं।।





सिमगा आवर्धन जल प्रदाय योजना जिला बलौदाबाजार–भाटापारा





पोड़ी बाहुल ग्राम जल प्रदाय योजना
विकासखण्ड बोड़ला, जिला कबीरधाम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कार्यालय माननीय मंत्री जी 0771-2221106, 2510906
कार्यालय सचिव 0771-2510838, 2510839
कार्यालय प्रमुख अभियंता 0771-2331368

ग्रामीण पेयजल शिकायत से संबंधित टोल फ्री नम्बर - 18002330008